फर्द अहकाम

श्रीमती चंदादेवी बनाम विक्रम आदि

लय

ख्या 31/2016

प्रा०पत्र धारा 151 CPC

न संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/11/19	वा०उप०/ पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रा०पत्र धारा 151 CPC का खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया आज्ञा शा० मि० किया गया। पत्रावली [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

मु0नं0: 31/2016
उनवान: श्रीमती चन्दादेवी बनाम विक्रम वगै0
निर्णय दिनांक: 13.11.2019

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–31/2016

उनवान

1. श्रीमाती चन्दा देवी पत्नी प्रकाश जैन, जाति नाई, निवासी नांगल भरडा, तहसील चौमू, हाल निवासी मुरलीपुरा, जयपुर, जिला जयपुर।

बनाम

1. विक्रम पुत्र राजेश
2. सन्तोष देवी पत्नी राजेश
   समस्त जाति नाई, निवासी नांगल भरडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सी.पी.सी. जाप्ता दीवानी।

आदेश दिनांक :– 13.11.2019

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया गया है कि खसरा नम्बर 2162 रकबा 0.15 है0 भूमि बाबत् वाद बाबत् तकासमा व स्था स्थायी निषेधाज्ञा का मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के प्रार्थना पत्र संख्या 106/2011 प्रस्तुत कर रखा है। जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2011 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जो वाद को डिक्री करते हुए स्थगन आदेश को कन्फर्म किया जा चुका है। चूंकि उक्त प्रकरण मान्य न्यायालय के समक्ष अग्रीम कार्यवाही हेतु विचाराधीन है, और अप्रार्थी/प्रतिवादीगण मौके पर स्थगन कन्फर्म होने के बावजूद भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से कर रहे हैं। निर्माण कार्य बिना तकासमा कर रहे है। प्रार्थीया/वादीया ने उक्त अप्रार्थीगण को निर्माण कार्य करने से मना किया तो उक्त लोग उग्र हो गये तथा प्रार्थीया/वादीया के साथ गाली गलौच करने लगे एवं जब प्रार्थीया/वादीया ने स्थगन आदेश की प्रति दिखाकर निर्माण कार्य बिना तकासमा करवाने से मना किया तो उक्त लोगों ने प्रति हाथ से छींनकर फाड दी एवं धमकी दी हम किसी स्थगन को नहीं मानते हैं, हमें किसी बटवारे की आवश्यकता नहीं है, हम तो हमारी मर्जी से कार्य करेंगे। न्यायहित में यह नितान्त आवश्यकीय है कि मौके पर स्थगन के बावजूद किये जो रहे अवैध निर्माण कार्य को जरिये पुलिस थाना सामोद रूकवाया जावे। यदि जरिये पुलिस इमदाद के निर्माण कार्य को नहीं रूकवाया गया तो प्रार्थीया/वादीया के हितों पर कुठाराघात होगा एवं प्रार्थीया/वादीया को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी रूप से की जानी कतई भी संभव नहीं होगी। प्रार्थना पत्र को सुनने एवं निर्णित करने का मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाने व स्थगन आदेश के बावजूद किये जा रहे निर्माण कार्य को जरिये पुलिस थाना सामोद के रूकवाये जाने बाबत् निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार चौमू से निर्माण के निर्माण के संबंध में रिपोर्ट ली गई।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि मौके पर मिन अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया, न ही किसी आदेश की अवहेलना की है, बल्कि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति है, तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 22.11.2016 पेश की गई है, जिसमें भी मौके पर निर्माण नहीं होना बताया गया है। जब प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है, ना ही किया जा रहा है तो रूकवाये जाने का प्रश्न कहां रह जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में मुख्य रूप से उन्हीं तथ्यों को दोहराया जो अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार चौमू की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर पर कोई निर्माण कार्य नया चालू नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

सहायक कलक्टर
चौमूँ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.12.04 11:26:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: